मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर,2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 18, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री रामबहादुर सिंह परिहार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लिये लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2001-2002) में से मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अंश

(ख) लोक आयुक्त संगठन का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 व्याख्यात्मक ज्ञापन

(ग) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के बीसवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर

(घ) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2002-2003)

(ङ.) लोक आयुक्त संगठन का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 व्याख्यात्मक ज्ञापन

(च) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के इक्कीसवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर

(छ) मध्यप्रदेश उप लोकआयुक्त न्यायमूर्ति श्री एस.के. चावला का विशेष प्रतिवेदन (वर्ष 2003), तथा

(ज) मध्यप्रदेश उप लोकआयुक्त का विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2003 व्याख्यात्मक ज्ञापन,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) वित्त लेखे वर्ष 2003-2004,

(ख) विनियोग लेखे वर्ष 2003-2004; तथा

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्राप्तियां),

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रुस्तम सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 1932 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 16 जुलाई, 2004,

(ख) क्रमांक 1997 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 23 जुलाई, 2004,

(ग) क्रमांक 1998 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 23 जुलाई, 2004,

(घ) क्रमांक 1999 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 23 जुलाई, 2004,

(ङ.) क्रमांक 1713 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 25 जून, 2004 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 2000-वि.नि.आ.-2004, दिनांक 23 जुलाई, 2004,

(च) क्रमांक 2118 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 6 अगस्त, 2004,

(छ) क्रमांक 2119 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 6 अगस्त, 2004,

(ज) क्रमांक 2385 -म.प्र.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 4 सितम्बर, 2004,

(झ) क्रमांक 2556 -म.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2004; तथा

(ञ) क्रमांक 2560 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 22 सितम्बर, 2004,

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, आरिफ अकील, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पेपर एवं कवर क्रय में की गई अनियमितता की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अजय विश्नोई, अजय सिंह, नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, जबलपुर जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा), सोबरन सिंह "बाबूजी", राजेश पटेल, सदस्य, जिला अशोक नगर में नगर पालिका परिषद् के चुनाव के दौरान स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सिंध नदी के किनारे रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री अमर सिंह कोठार, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) सुश्री कुसुम सिंह, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जयराम सिंह मार्को, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम दरैन से कुदरा टोला तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम गोहपारू में महाविद्यालय खोले जाने,
(ग) ग्राम बरकोड़ा में महरोई नदी पर रपटा बनाये जाने,
(घ) ग्राम लपरी मितौरा मार्ग पर चूंदी नदी पर रपटा बनाये जाने,
(ङ) ग्राम गोहपारू को तहसील का दर्जा दिलाये जाने, तथा
(च) ग्राम सुड़वार से खाम्हा रोड तक मार्ग एवं पुल निर्माण कराये जाने,

(2) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, बालाघाट जिले में पुल-पुलिया निर्माण में कम तथा घटिया निर्माण एवं फर्जी मस्टर रोल के भुगतान की जांच कराये जाने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के गोविन्दपुरा क्षेत्र में खानूगांव से नगर वाहन चलाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री, दिनांक 26 जुलाई, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक-4104) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक-2575) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री परिवहन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) पर विचार किया जाय. — 30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) पर विचार किया जाय. — 1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) पर विचार किया जाय. — 1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 8 दिसम्बर, 2004.